



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन 1942 (श०)
(सं० पटना 138) पटना सोमवार 1 मार्च 2021

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना
26 फरवरी 2021

सं०—5पुरा/स०1—01/2016—09 “बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976” की धारा—(3) की उपधारा—(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल संलग्न अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित सारण जिलान्तर्गत करिंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई आपत्ति हो तो इसे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 2 (दो) माह के अन्दर संबंधित प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष के क्षेत्र के अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किया जा सकेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अनिमेष कुमार पराशर,
अपर सचिव—सह—
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक/
पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व विवरणी

क्र.	पुरास्थल/ स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी	जमीन की किस्म
					एकड़./डी.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारण जिला अवस्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल करीगा मकबरा	लगभग 3 कटठा में गुम्बद संरचना अवशेष के रूप में स्थित है।	1237	80	0/81	वर्तमान चौहद्दी उ0—गड़हा द0—गड़हा पू0—परती जमीन रैयती प0—रास्ता	कब्रिस्तान
ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना नं०	जिला	अभ्युक्ति	
9	10	11	12	13	14	15	
ब्रह्मपुर	ब्रह्मपुर	सदर, छपरा	छपरा मुफसिल	277	सारण	खतियान के अनुसार मौजा— ब्रह्मपुर, थाना न०—277, खाता सं० 1237, सर्वे नं० 80, जमीन का किस्म—कब्रिस्तान (केशरे हिन्द) रकवा—1 बीघा 1 कटठा 16 धुर है।	

अनिमेष कुमार पराशर,
अपर सचिव—सह—
निदेशक, पुरातत्व, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 138-571+10-डी०टी०पी०
Website: <http://egazette.bih.nic.in>